न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ
राजकुमार बनाम औमप्रकाश वगै0
प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
01.06.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र एवं जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 की फोटो प्रति व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.08.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आ0ख0नं0 1016,761,1014,1015 व 765 वाके ग्राम खेडामहमूद तह0 गोविन्दगढ(अलवर) को किसी प्रकार से दीगर व्यक्ति को रहन बय मुंतकिल ना करें, सामलात कब्जे कास्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करें एवं रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 05.08.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 05.08.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

5/8/21- पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0 अप्रार्थी गण की तामील अप्राप्त। पूर्व आदेश की अवधि को आगामी तारीख तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनांक 28/10/21 को पेश हो।

Scanned with CamScanner

28/12/21 [illegible] प्रकरण 460 [illegible] 2021/122 [illegible]

17/11/21 पत्रावली SDO लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त होकर पेश हुई।
प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित "प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021" मे रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली राजस्व अभियान में पंचायत मुख्यालय ....खेडा महमदपुर........
पर दिनांक........17/12/21........को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

17/12/21 पत्रावली "प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021" मे मे पेश हुई। पक्षकारान्........उपस्थित........
नही होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नही हो सका। अतः पत्रावली दिनांक........20/1/21........ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

03/01/22

पत्रावली वकील प्रार्थी/वादी के प्रा० पत्र पर राजकुमार मूल वाद के साथ आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। दावा वादी खारिज हो गया है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड में जमा हो। सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

Scanned with CamScanner